न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00484

1. दुर्गाशंकर आयु 45 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड निवासी ग्राम नालोदिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. कौशल्या बाई पत्नी दुर्गाशंकर जाति धाकड निवासी ग्राम नालोदिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. रामचन्द्र पुत्र चुन्नीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम नालोदिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. धापू बाई पत्नी रामचन्द्र जाति धाकड निवासी ग्राम नालोदिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. हरीश कुमार आयु 21 वर्ष पुत्र दुर्गाशंकर जाति धाकड निवासी ग्राम नालोदिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 24.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी में खाता संख्या नया 456 में खसरा नम्बर 308 की रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 311 की रकबा 2.18 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 3.30 हैक्टर भूमि स्थित है । ग्राम जुल्मी में ही खाता संख्या नया 469 में खसरा नम्बर 307 की रकबा 1.59 हैक्टर भूमि स्थित है । ग्राम नालोदिया तहसील रामगंजमण्डी में खाता संख्या नया 102 में खसरा नम्बर 356 की रकबा 1.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 357 की रकबा 0.25 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 0.29 हैक्टर भूमि स्थित है । इसी प्रकार ग्राम नालोदिया में खाता संख्या नया 192 में खसरा नम्बर 359 रकबा 0.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.06 हैक्टर कुल 02 किता की 0.65 हैक्टर भूमि स्थित है । वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण क्रम 1 एवं 3व 4 के संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है । प्रार्थी की माता कैलाश बाई अप्रार्थी क्रम 01 दुर्गाशंकर की विवाहिता पत्नी है एवं प्रार्थी उनकी जायन्दा संतान है जो अप्रार्थी क्रम 01 का वैध वारिस है एवं अप्रार्थीगण क्रम 3 व 4 का पौत्र है । वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही अधिकार है । प्रार्थी का हिस्सा अपने पिता अप्रार्थी क्रम 01 दुर्गाशंकर को प्राप्त होने वाले हिस्से में से 1/2 हिस्सा निहित रहा है । इस कारण विधिवत विभाजन हुए बिना अप्रार्थीगण क्रम 01 एवं 3 व 4 को वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं अन्यथा खुर्द–बुर्द करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अप्रार्थी क्रम 01 ने विधिवत विवाहिता पत्नी प्रार्थी की माता के मौजूद रहते अप्रार्थी क्रम 02 को अवैध रूप से अपने घर में पत्नी बनाकर रखा है । अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं अन्यथा से खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं अन्यथा खुर्द–बुर्द नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्राथीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.11.2019 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुए आदेश पारित किया कि अप्रार्थीगण ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान नहीं करें एवं वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.11.2019 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार अपीलान्ट क्रम 02 हैं जिनके खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की भूमि है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा समस्त सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र संयुक्त खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना चलने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के खिलाफ हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया था और कथन किया था कि ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी में खाता संख्या नया 456 में खसरा नम्बर 308 की रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 311 की रकबा 2.18 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 3.30 हैक्टर भूमि स्थित है । ग्राम जुल्मी में ही खाता संख्या नया 469 में खसरा नम्बर 307 की रकबा 1.59 हैक्टर भूमि स्थित है । ग्राम नालोदिया तहसील रामगंजमण्डी में खाता संख्या नया 102 में खसरा नम्बर 356 की रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 357 की रकबा 0.25 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 0.29 हैक्टर भूमि स्थित है । इसी प्रकार ग्राम नालोदिया में खाता संख्या नया 192 में खसरा नम्बर 359 रकबा 0.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.06 हैक्टर कुल 02 किता की 0.65 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे । अपीलान्टगण ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और परीक्षण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । इन आराजियात के एकमात्र रिकॉर्डेड खातेदार अपीलान्ट कम 02 है । रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । आराजियात संयुक्त खाते की है सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है । रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट का पुत्र है पिता एंव दादा के जीवित रहते हुए वो आराजी के विभाजन की मांग नहीं कर सकता । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का नहीं है फिर भी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2017 (2) पेज 907, आरएलडब्ल्यू 2013 (1) पेज 666, आरआरटी 2015 (1) पेज 633, आरआरटी 2011–12 (सप्ली0) पेज 217, आरआरटी 2011 (1) पेज 612 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट दुर्गाशंकर की पहली पत्नी का पुत्र है जिसको किसी प्रकार के अधिकार अपीलान्ट दुर्गाशंकर द्वारा नहीं दिये जा रहे है । वादग्रस्त आराजी पैतृक है जिसमें रेस्पोडेन्ट का हित– निहित है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2019 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट वादी के द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना

पत्र पेश किया है जिसका जवाब अपीलान्टगण द्वारा दिया गया है । वादी के द्वारा जो फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2074–77 नया खाता संख्या 456 पेश की है उसके अनुसार खसरा नम्बर 308 की रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 311 की रकबा 2.18 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 3.30 हैक्टर आराजी वाके ग्राम जुल्मी में कौशल्या बाई के अलावा अन्य 08 सहखातेदारों के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2074–77 नया खाता संख्या 469 के अनुसार खसरा नम्बर 307 की रकबा 1.59 हैक्टर भूमि वाके ग्राम जुल्मी कौशल्या बाई के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2074–77 नया खाता संख्या 102 के अनुसार खसरा नम्बर 356 की रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 357 की रकबा 0.25 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 0.29 हैक्टर भूमि वाके ग्राम नालोदिया कौशल्या बाई के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2074–77 नया खाता संख्या 192 के अनुसार ग्राम नालोदिया की खसरा नम्बर 359 रकबा 0.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.06 हैक्टर कुल 02 किता की 0.65 हैक्टर भूमि कौशल्या एवं अन्य सहखातेदारों के खाते में दर्ज है ।

11. खाता संख्या 456 और 192 में जो अन्य सहखातेदार दर्ज है उनकों वादी रेस्पोडेन्ट ने पक्षकार नहीं बनाया है और परीक्षण न्यायालय ने बिना उनको पक्षकार बनाये सम्पूर्ण आराजी के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जो त्रुटिपूर्ण है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट वादी के पिता के खाते में दर्ज नहीं है वरन् कौशल्या बाई पत्नी दुर्गाशंकर के खाते में दर्ज है और पत्रावली पर जो राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियॉ पेश की गई है उनके अनुसार यह आराजी दुर्गाशंकर की पैतृक भी प्रमाणित नहीं हो रही है । आरआरटी 2017 (2) पेज 907 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि पिता के जीवनकाल में पुत्र को पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । इन समस्त तथ्यों के आधार पर वादग्रस्त आराजी के बाबत् रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रथमदृष्टया प्रकरण नहीं बनता है न ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति उनके पक्ष में है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्वरत नजीरें यहॉ चस्पा होती हैं । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2019 निरस्त किया जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24.8.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा